

LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME:-KESAR NAGAR

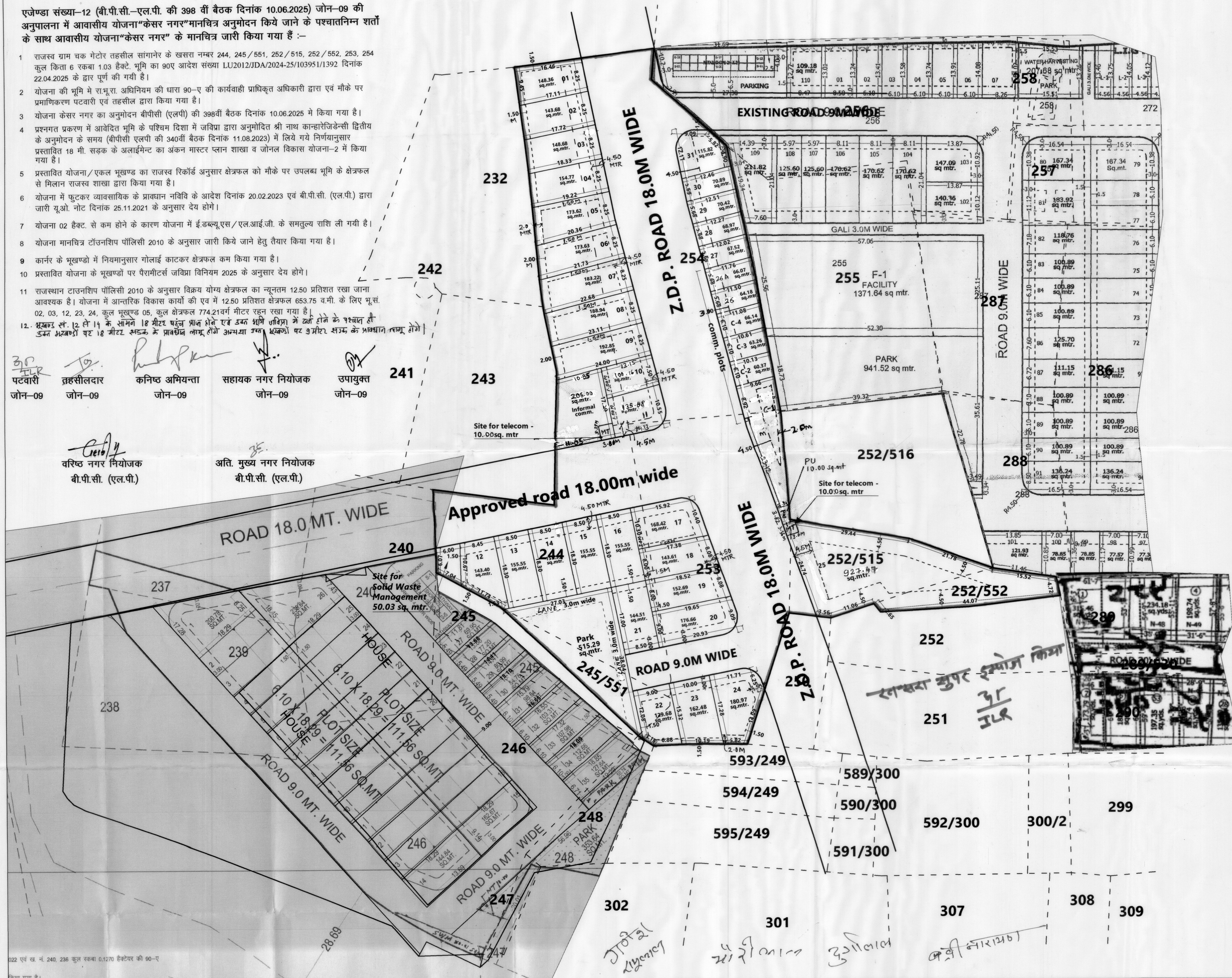
KH. NO - 244, 245/551, 252/515, 252/552, 253, 254 VILLAGE-CHAK GETOR, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR.

एजेण्डा संख्या-12 (बी.पी.सी.-एल.पी. की 398 वीं बैठक दिनांक 10.06.2025) जोन-09 की अनुपालना में आवासीय योजना "केसर नगर" मानचित्र अनुमोदन किये जाने के पश्चात निम्न शर्तों के साथ आवासीय योजना "केसर नगर" के मानचित्र जारी किया गया है :-

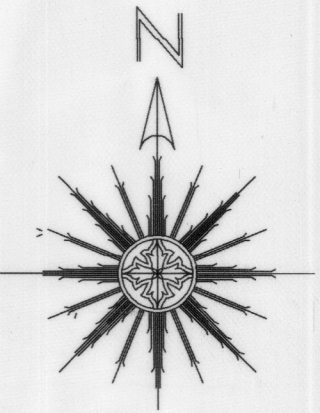
- राजस्व ग्राम चक गेटोर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 244, 245/551, 252/515, 252/552, 253, 254 कुल किता 6 एकबा 1.03 हैक्टे. भूमि का 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2024-25/103951/1392 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण पटवाशी एवं तहसील द्वारा किया गया है।
- योजना केसर नगर का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 398वीं बैठक दिनांक 10.06.2025 में किया गया है।
- प्रस्तावित प्रकरण में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में जविप्रा द्वारा अनुमोदित श्री नाथ कान्हादेजि-सी द्वितीय के अनुमोदन के समय (बीपीसी एलपी की 340वीं बैठक दिनांक 11.08.2023) में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्तावित 18 मी. सड़क के अलाइमेंट का अंकन मास्टर प्लान शाखा व जोनल विकास योजना-2 में किया गया है।
- प्रस्तावित योजना/एकल भूखण्ड का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार क्षेत्रफल को मौके पर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल से मिलान राजस्व शाखा द्वारा किया गया है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्रावधान नविनि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होंगे।
- योजना 02 हैक्ट. से कम होने के कारण योजना में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. के समतुल्य राशि ली गयी है।
- योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- कार्नर के भूखण्डों में नियमानुसार गोलाई काटकर क्षेत्रफल कम किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2025 के अनुसार देय होंगे।
- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 12.50 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है। योजना में आन्तरिक विकास कार्यों की एव में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल 653.75 व.मी. के लिए भूस. 02, 03, 12, 23, 24, कुल भूखण्ड 05, कुल क्षेत्रफल 774.21 वर्ग मीटर रहन रखा गया है।
- भूखण्ड सं. 12 से 14 के सीमाने 18 मीटर घटाने प्रदान होने एवं अन्य भूमि उपरिप्रा में दर्ज होने के पश्चात् ही उक्त भूखण्डों पर 18 मीटर सड़क के प्रावधान लागू होगा अन्यथा उक्त भूखण्डों पर 9 मीटर सड़क के प्रावधान लागू होगा।

पटवाशी जोन-09
तहसीलदार जोन-09
कनिष्ठ अभियन्ता जोन-09
सहायक नगर नियोजक जोन-09
उपायुक्त जोन-09

वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)
अति. मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)



J.D.A. 1652 B 15.9.25



KEY PLAN

Residential scheme area analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mtr.)	Percent	
1	Residential	5219.64	50.68	56.67
2	COMM.	414.37	03.99	
3	Informal comm.	2.06.08	02.00	
4	Park	515.36	05.00	
5	s.w.m.+telecom	80.03	00.78	43.33
6	z.d.p. road	3537.18	34.34	
7	Road	330.41	03.22	
Total area		10300.00	100.00	100.00

प्रस्तावित योजना में प्रचलित भूखण्ड विनियम 2025 अनुसार सेक्टर के रखते हुए एवं क्षेत्रफल विलक्षण में संशोधन किये गये हैं।



ATP (BPC-UP)

NAME OF SOCIETY :- NIIJI KHATEDARI

NAME OF SCHEME :- KESAR NAGAR

ZONE NO.- 9 SECTOR NO.- 29

SCALE:- 1 : 500 DRG. NO.

वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी एल.पी.) अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी एल.पी.)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR